बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 5683314 पटना, दिनांक 01/06/26
ग्रा0वि0-6-बजट/05-08/2025

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-42 के तहत **DAY-NRLM** अंतर्गत **SVEP** के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य मद में प्रथम किस्त प्रथम भाग के रूप में विमुक्त राशि रू0 674.10 लाख (छह करोड चौहत्तर लाख दस हजार) के विरूद्ध 60:40 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2026-27 में पुनर्विनियोग/ आकस्मिकता निधि के माध्यम से उपबंधित राशि रू0 449.40 लाख (चार करोड़ उनचास लाख चालीस हजार) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत ।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन बढ़ाना एवं विस्तार करना, वित्तीय समावेशन, रोजगार पाने योग्य कुशल बनाना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना एवं आजीविका संवर्द्धन से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आ0एल0एम0) योजना चलाई जा रही है ।

2. DAY-NRLM एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है । वर्ष- 2014-15 से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के पुनर्गठन के पश्चात केन्द्र प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश व राज्यांश की राशि का व्यय सहायक अनुदान मद में ही निर्धारित है । स्कीम पर होने वाला व्यय का भार का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक-01.04.2015 से क्रमश: 60:40 के अनुपात में किया जाता है ।

3. वित्त विभागीय पत्रांक-380 दिनांक-20.04.2026 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश एवं राज्यांश मद) में चौमाही बंधेज को बजट प्रावधानित राशि का 100 प्रतिशत तक शिथिल करते हुए नियमानुसार व्यय करने हेतु निदेशित किया गया है ।

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-S-11052/27/2015/NRLM(SVEP)/Bihar (SVEP_17) दिनांक-02.02.2026 द्वारा SVEP योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य मद में प्रथम किस्त प्रथम भाग के रूप में विमुक्त कुल राशि रू0 674.10 लाख (छह करोड चौहत्तर लाख दस हजार) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5314117 दिनांक-12.03.2026 द्वारा प्रदान की गयी है तथा आवंटनादेश सं0-5329209 दिनांक-16.03.2026 द्वारा जीविका को आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यांश मद में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण केन्द्रांश के विरूद्ध 60:40 के अनुपात में देय अनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 449.40 लाख (चार करोड़ उनचास लाख चालीस हजार) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी । फलस्वरूप राज्यांश मद की राशि का आवंटन जीविका को उपलब्ध नहीं कराया जा सका । वित्त विभाग के परामर्श के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 में एन.आर.एल.एम. अंतर्गत SVEP योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश

मद के विमुक्ति के विरूद्ध राज्यांश मद में आवश्यकता के आलोक में पुनर्विनियोग/ आकस्मिकता निधि के माध्यम से राशि रू0 449.40 लाख (चार करोड़ उनचास लाख चालीस हजार) का बजट उपबंध कराया गया है, जिसकी निकासी की जानी है।

6. उक्त के आलोक में DAY-NRLM अंतर्गत SVEP के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश के सामान्य मद में पुनर्विनियोग/ आकस्मिकता निधि के माध्यम से बजट उपबंध के अधीन कुल राशि रू0 449.40 लाख (चार करोड़ उनचास लाख चालीस हजार) की निम्नवत् विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	मद एवं विपत्र कोड (विषय शीर्ष सहित)	केन्द्रांश के विरूद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि (60:40 के अनुपात में)	पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त राशि	आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि
1	2	3	4	5
1	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष- 0305-स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम(एसवीईपी) (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501061010305 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (सामान्य मद)	449.40	449.39	0.01
	कुल :-	449.40 लाख (चार करोड़ उनचास लाख चालीस हजार)		

7. DAY-NRLM अंतर्गत SVEP राज्यांश के सामान्य मद में कुल स्वीकृत राशि रू0 449.40 लाख (चार करोड़ उनचास लाख चालीस हजार) की निकासी विभागीय माँग सं0-42 के अंतर्गत उपरोक्त सारणी के कॉलम-2 में अंकित बजट शीर्षो के अंतर्गत की जायेगी ।

8. स्वीकृत राशि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत चालू स्कीम पर व्यय की जानी है, फलस्वरूप वित्त विभाग के पत्रांक- एम04-53/2007-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में बजट उपबंधित राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम है ।

9. (i) स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होगें तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

(ii) अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर Single Nodal Account (SNA) Bihar Rural Livelihoods Promotion Society- SVEP, Punjab National Bank, Account No.-2910000100235506, IFSC Code- PUNB0291000, Branch Code-291000 Boring Road, Patna, Bihar में जमा कर देंगे । मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक,

बी0आर0एल0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना इस राशि की निकासी कर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं इस विभाग को उपलब्ध कराऐंगे।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी ।

11. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक-05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

12. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका सं0- ग्रा0वि0-6-बजट/05-08/2025 के पृष्ठ--15----/टि0 पर दिनांक--25/05/2026- को प्राप्त है ।

13. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा0वि0-6-बजट/05-08/2025 के पृष्ठ---19--- /टि0 पर दिनांक---20/05/2026को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन
1/6/26
(रवि कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5683314 पटना, दिनांक ________

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/6/26
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5683314 पटना, दिनांक 01/06/26

प्रतिलिपि- राजेश्वरी एस.एम., निदेशक (RL), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सातवाँ तल्ला, NDCC बिल्डिंग-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS–सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /लेखा शाखा/ आई0टी0मैनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/6/26
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5683314 पटना, दिनांक 01/06/26

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/6/26
सरकार के संयुक्त सचिव